ISBN: 978-81-974088-0-9

12. वर्तमान समाज एवं अस्थि बाधित बालक की समस्याएं

डॉ. नम्रता माहेश्वरी

शाम्भवी स्कूल ऑफ एजूकेशन,

प्रस्तावना-

ऐसे बालक जो अपनी शारीरिक कमियों के कारण सामान्य बालको की तरह अपने दैनिक कार्यों को करने में भी अक्षम रहते है तथा दूसरों पर निर्भर होते हैं। दिव्यांग बालक कहे जाते हैं। दिव्यांग बालक वे बालक होते है, जो किसी कारणवश,बीमारी के कारण या दुर्घटना वश उनके शरीर के कुछ अंग विकृत हो जाते हैं ।

दिव्यांग शब्द अंग्रेज़ी के हैंडीकैप्ड का हिन्दी पर्याय है। विकलांगता एक व्यापक शब्द है। जो किसी व्यक्ति के शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास में किसी प्रकार की कमी को इंगित करता है जिसे निर्योग्यता,निःशक्तता अपंगता आदि नामों से जाना जाता है।

विकलांग बालक वह व्यक्ति होता है, जो शारीरिक या मानसिक विकलांगता से ग्रसित है। जिसके कारण उसे उन कार्यों को करने में भी परेशानी महसूस होती है। जिसे सामान्य बालक बहुत आसानी से कर लेते है। और उन्हें अपने दैनिक जीवन के कार्यों को करने के लिए भी किसी दूसरों की सहायता या सहायक उपकरण की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए दूसरे बच्चों की ही तरह इन्हें भी सीखनेके अवसर मिलना चाहिए।

परिभाषाएँ -

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा परिभाषित विकलांगता की परिभाषा -

1. शारीरिक संरचना या शारीरिक व मानसिक कार्यक्षमता में कोई ख़राबी या दुर्बलता उदाहरण के तौर पर हाथ या पैर की क्षति, दृष्टि या याददाश्त की क्षति ।

2. कार्यक्षमता में कमी, जैसे की देखने, चलने, सुनने या समस्याओं को हल करने की क्षमता में कमी का होना ।

3. रोज़मर्रा की सामान्य गतिविधियो जैसे की काम करने सामाजिक या मनोरंजक गतिविधियों का हिस्सा होने या स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा पाने में असमर्थता।

विभिन्न शब्दकोशों में विकलांगता की परिभाषा-

ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी विकलांगता को शारीरिक व मानसिक स्थिति के रूप में परिभाषित करती हैं जो व्यक्ति की गतिविधियों,इन्द्रियों और कार्यों को बाधित करती है।

डिक्शनरी डॉट कॉम विकलांगता को ज़्यादा व्यावहारिक रूप में परिभाषित करती है। इसके अनुसार विकलांगता एक शारीरिक या मानसिक विकलता है, विशेषतः वह जो एक व्यक्ति को सामान्य ज़िंदगी जीने या अपनी जीविका कमाने से रोकती हो ।

विभिन्न देशों में विकलांगता की परिभाषा

इक्वालिटी एक्ट 2010 के मुताबिक़ यूनाइटेड किंगडम इस प्रकार परिभाषित करता है - "इस एक्ट के तहत एक व्यक्ति को विकलांगता है यदि उस व्यक्ति में शारीरिक या मानसिक विकलता है, और यह विकलता इस हद तक है कि वह उसके दैनिक कार्यों मे रुकावट डालती है।

डिज़ीविलेटी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट 1992 के तहत ऑस्ट्रेलिया में विकलांगता को निम्न तरीक़े से परिभाषित किया जाता है-

- व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक कार्यक्षमता में पूर्ण या आंशिक क्षति

- शरीर के किसी अंग की पूर्ण या आंशिक क्षति
- रोग यह बीमार करने वाले जीवों की शरीर में उपस्थिति
- व्यक्ति के शरीर के किसी भाग में विकृति, विरुपता या ख़राबी
- एक विकार या ख़राबी जिसके कारण व्यक्ति के सीखने की क्षमता बिना विकार वाले व्यक्तियों से अलग हो

विशेषता-

1. सामान्य बालकों के साथ विकलांग बालकों की शिक्षा चलाने में कठिनाई आती है।

2. इनके शरीर का कोई ना कोई अंग विकृत रहता है ।

3. एक ही बालक में सामान्यतः बहू विकृति रहती है।

4. ऐसे बालको को अपने रोज़ के दैनिक कार्यों को करने के लि भी किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता होती है कई बार सहायक उपकरण का भी प्रयोग करना पड़ता है।

5. ऐसे बच्चे बहुत बार परिवार समाज के द्वारा भी उपेक्षित होते रहते है कई बार वे दूसरो के द्वारा तिरस्कृत भी होते है जिसके कारण उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है।

6. विकलांग बालकों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आवश्यक है ऐसे स्वस्थ समाज की जो उन्हें सहायता तथा उचित मार्गदर्शन दे।

कारण - व्यक्ति की विकलांगता के मुख्यतः दो कारण होते हैं।

1. अनुवांशिक कारण
2. वातावरण या पर्यावरण

आनुवंशिक कारण - व्यक्ति की शारीरिक बनावट आकार रचना आनुवांशिक पर निर्भर होती है, देखा गया है। की बहुत से बच्चों के चेहरे उनके माता-पिता तथा

परिवार के अन्य सदस्यों से बहुत कुछ मिलते हैं। उनके हाथ पैरों की बनावट शक्ल भी मिलती जुलती है। ऐसे ही बहुत सारी बीमारियां भी उन्हें अनुवांशिक गुणों के कारण प्राप्त हो जाती है। यही कारण है कि कुछ बच्चे जन्म से ही लूँलें लंगड़े और अंधे पैदा होते हैं।

वातावरण के कारण-

1. गर्भावस्था के दौरान माताओं द्वारा उचित संतुलित आहार न मिल पाने के कारण गर्भावस्थ शिशु कुपोषित पैदा होता है। जिससे ऐसी विकलांगता बालक को जन्म से ही मिलती है।

2. जन्म के बाद यदि बालक का भरण पोषण ठीक तरह से न होने की स्थिति में भी बालक में बहुत सारे दोष पैदा हो जाते हैं और उनके अंगों का विकृत होना प्रारंभ हो जाता है।

3. दुर्घटना भी एक प्रमुख कारण है विकलांगता का, जिसमें बालक के शारीरिक अंग विकृत हो जाते हैं। अंगों के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण उन अंगों का प्रत्यारोपण भी किया जाता है।

4. बीमारी जैसे पोलियो, टीबी, टॉइफॉइड, चेचक, कैंसर इन बीमारियों के कारण भी शरीर का अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है।

5. नशीले खाद्य पदार्थ जैसे अल्कोहल सिगरेट के सेवन से भी शारीरिक अंग क्षतिग्रस्त हो जाते है।

प्रकार-

लंबी बीमारी जन्म से पूर्व माँ को संक्रामक रोग होना, जन्म के समय अथवा बाद में कोई संक्रमण, संवेदी अँगो में कोई दोष इत्यादि कारणों से कुछ बालक शारीरिक रूप से दूसरे सामान्य बालकों से भिन्न हो जाते हैं स्पष्ट है, यह विभिन्नता केवल ऋणात्मक होती है, अर्थात शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक सामान्य बालको से

शारीरिक क्षमताओं में निम्न स्तर के होते है ये शारीरिक रूप से विकलांग बालक निम्न प्रकार के हो सकते है -

1. अस्थि विकलांग बालक
2. दृष्टि विकलांगबालक
3. वाणी विकलांग बालक
4. श्रवण विकलांग बालक
5. बहुल विकलांग बालक

अस्थि विकलांग बालक

प्रस्तावना-

ऐसे बालक जो शारीरिक रूप से लक़वा ग्रस्त झूले लंगड़े तथा मेरुदंड के दोष से ग्रसित समस्या वाले बालक होते हैं इन दोष के कारण उन्हें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे बालक अपने आस-पास के बालकों की तरह सामान्य नहीं होते हैं जिसके कारण वे समाज में तथा अपने परिवार व मित्रों के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं उन्हें तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनमें अंगों की विकृतियां पायी जाती है जिसकी वजह से वे अपने दैनिक कार्यों को भी करने में असहजता महसूस करते हैं, जैसे चलना, उठना, बैठना, खेलना आदि अंगों में विकृति के कारण बालक खेलने तथा मनोरंजन जैसे संबंधित कार्यों को करने में अक्षम होता है, ऐसे बालकों को उनकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए क्रियाओं को करवाना चाहिए, अस्थि विकलांग बालक अपनी शारीरिक अंगों की विकृति के कारण वे शारीरिक रूप से तो अपने आपको कमज़ोर महसूस करते हैं लेकिन वे मानसिक रूप से पुरी तरह से स्वस्थ होते हैं तथा मानसिक कार्यों को करने में सक्षम भी होते हैं। लेकिन फिर भी वे सामान्य बालकों की अपेक्षा स्वयं को कम आंकते हैं। बालकों में यह विकलांगता अनुवांशिक भी हो सकती है तथा दुर्घटना के कारण भी उनके अंगों में विकृति आ जाती है। और इन्हें अन्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करने में सामान्यता कठिनाई आती है। कई बार ऐसा भी होता है की एक बालक में बहू विकृति भी पाई जाती है।

अस्थि बाधित बालकों का अर्थ-

अस्थि बाधित बालक वे बालक होते हैं, जिनकी अस्थियाँ व शरीर की विभिन्न मांसपेशियां ठीक तरह से कार्य नहीं कर पातीऔर उन्हें अपने दैनिक कार्यों को करने के लिये कृत्रिम उपकरण की आवश्यकता होती है। ऐसे बालकों को अपंग अस्थि बाधित स्वास्थ्य बाधित आदि नामों से संबोधित किया जाता है ।

परिभाषा-

"अस्थि बाधित उन बालकों को कहते हैं जिनकी किसी एक या अधिक हड्डियों में दोष आ गया हो या क्षतिग्रस्त हो गई हो जिससे वह सामान्य बालकों की भाँति शारीरिक अभ्यास करने में असमर्थ हो गया हो ऐसे बालकों की मांसपेशियों तथा जोड़ों अथवा अस्थियों में किसी कारण दोष आ जाता है।"

"अस्थि बाधित उन बालकों को कहते हैं जिन्हें किसी रोग के कारण संप्रेषण में गंभीरता,विकास की समस्या, सीमित शक्ति का होना जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्या गंभीर हो जाती है जैसे दमा, मधुमेह आदि अन्य रोग से ग्रस्त होना।"

मुख्यताः अस्थि बाधित वे बालक होते हैं जो मानसिक तथा इन्द्रीय दोष से बाधित न होंकर शारीरिक रूप से बाधित होते हैं हम इन्हें अपंग के नाम से भी जानते हैं इन अपंग बालकों में हड्डी तथा मांस पेशियाँ विकृत होती है। ऐसे बालकों को कुछ सहायक यंत्रों जैसे की बैशाखी, चलने वाली कुर्सी तथा अन्य संयंत्रों की सहायता दी जाती है जिससे वे अपने समाने कार्यों का संपादन कर सकें।

अस्थि बाधित बालकों की विशेषताएँ-

- अधिकतर देखा गया है की जो बालक शारीरिक रूप से विकृत हैं। वे मानसिक रूप से सामान्य बालकों या सामान्य से भी अधिक क्रियाशील होते है।
- इन बालकों की आवश्यकताएँ भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। शोध से पता चला है कि ऐसे बालक सामान्य बालकों से उच्च श्रेणी के होते हैं
- इन बालकों की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि इन्हें सहायक अंगों के साथ कार्य करना होता है ।

- ऐसे बालक जागरूक प्रवृति के होते है भले शारीरिक रूप से वे कमज़ोर हो इनका मन कोमल होता है इनके सामने बहुत सी समस्याएं आती है- जैसे कि आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, व्यावहारिक, विवाह संबंधी, पारिवारिक, व्यावसायिक आदि ।
- किसी भी काम में अधिक समय तक इनका मन नहीं लगता और थोड़े समय में ही ये ऊब भी जाते हैं।
- अंगों के विकृत होने के कारण ये सामान्य कार्य भी नहीं कर पाते हैं।
- अस्थि बाधित बालक नियमित रूप से विद्यालय नहीं जा पाने के कारण शिक्षा में पिछड़ जाते है।

अस्थि विकलांगता के कारण-

अस्थि बाधित बालकों के शरीर में आयी विकृति के अनेक कारण है उनकी विकलांगता का कुछ कारण निम्न हैं-

1. जन्मजात अनियमितता के कारण
2. दुर्घटना के कारण
3. बीमारी के कारण

1. जन्मजात अनियमितता के कारण - गर्भावस्था के दौरान संतुलित आहार का सेवन माता के द्वारा नहीं किए जाने के कारण गर्भस्थ शिशु का भली प्रकार से विकास नहीं हो पाता है और उसके शरीर में कुछ दोष उत्पन्न हो जाता है और यह दोष चिकित्सा के द्वारा भी ठीक नहीं हो पाता इसके लिए बालकों को अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए सहायक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है

2. **दुर्घटना के कारण** - दुर्घटनावश बालक के शारीरिक अंग विकृत हो जाने के कारण वह अपना सामान्य जीवन भी भली प्रकार से यापन नहीं कर पाता है कई बार वाहन दुर्घटना, ऊपर से गिर जाने या किसी शस्त्र से चोटिल होने के कारण अंगों में विकृति आ जाती है।

3. **बीमारी के कारण** - कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो बालकों में लंबे समय तक रहती है। जिसकी वजह से उनके अंगों में विकृति आ जाती है। जैसे

टीबी, पोलियों, मस्तिष्क ज्वर इन बीमारियों के कारण बालक का समान विकास रुक जाता है। और उनके सीखने की क्षमता भी धीरे- धीरे कम होती चली जाती है। जिसके कारण वे शिक्षा ग्रहण करने में असहज होते हैं।तथा खेलकुद और अन्य सामाजिक कार्यों में भाग नहीं ले पाते हैं।

उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त अन्य कारण भी है जो इस प्रकार है-

- जन्म के समय औजारों के द्वारा शारीरिक क्षति पहुँचना।
- गर्भावस्था के दौरान माताओं के द्वारा अधिक दवाइयों का सेवन करना।
- गर्भावस्था के दौरान पोस्टिक आहार का ना मिल पाना।
- गंभीर बीमारियों का होना।

अस्थि बाधित बालकों की पहचान-

- शरीर के अंगों का सामान्य से अलग होना।
- शरीर के अंगों का विकृत होना।
- लड़खड़ाना।
- सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में कठिनाई अनुभव करना।
- वैसाखी या घूमने वाली कुर्सी का प्रयोग करना।
- कार्यों को करने में कठिनाई अनुभव करना।
- विकृत अंगों में दर्द होना।
- अंगों में स्वयं का नियंत्रण न हो पाना।

अस्थि विकलांग बालकों की समस्याएं

अस्थि विकलांग बालकों को उनके अंगों के विकृत हो जाने के कारण सामान्य कार्य को करने में भी बहूत सारी समस्याओं का सामना तथा उन्हें हर क्षेत्र में समायोजन करना पड़ता है।

वर्तमान समय में इन बालकों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है वे समस्या निम्न है-

- शैक्षिक समस्या
- आर्थिक समस्या
- सामाजिक समस्या
- धार्मिक समस्या
- विवाह संबंधी समस्या
- पारिवारिक समस्या
- व्यावसायिक समस्या
- मानसिक समस्या
- अपराधिक समस्या
- कार्यस्थल पर अस्थि विकलांग की समस्या

ऐसे बालकों का संवेगात्मक विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है। वे बालक कभी-कभी थोड़ी - थोड़ी बातों में ग़ुस्सा हो जाते हैं। या कभी हतोत्साहित हो जाते हैं। जिसके कारण इनका मानसिक विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है तथा मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अस्थि विकलांगता के कारण ऐसे बालकों को शाला पहुँचने में भी समस्या आती है। परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होने के कारण पर्याप्त पोषण भी नहीं मिल पाता जिससे इनका सही तरीक़े से शारीरिक विकास नहीं हो पाता है।

ऐसे बालकों को समाज में उनकी अपंगता के कारण हीन दृष्टि से देखा जाता है। जिससे इनका पर्याप्त सामाजिक विकास नहीं हो पाता परिवार वाले भी पूर्व जन्म का पाप बताकर इन्हें अपमानित करते हैं। ऐसे बालकों को रोज़गार ना मिल पाने के अवसर पर ये अपराध की दिशा में क़दम बढ़ाते हैं और अपराधी बन जाते हैं। क्योंकि पर्याप्त शिक्षा के अभाव के कारण इन्हें रोज़गार नहीं मिल पाने से रोज़गार संबंधी समस्याएं इनके सामने आती है। तथा आमदनी नहीं होने के कारण इन्हें विवाह संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है।

इन समस्याओं की ओर शिक्षक तथा माता पिता को ध्यान देना चाहिए। जिससे ऐसे बालक स्कूल में समाज में तथा अपने परिवार में पर्याप्त रूप से समायोजन कर सके। तथा किसी पर निर्भर न होते हुए स्वरोजगार कर अपने पैरों पर खड़े रहे।

निष्कर्ष-

अस्थि बाधित बालक वे बालक होते हैं। जिनकी अस्थियों में विकृतियाँ आ जाती है। जिसके कारण वे दैनिक कार्यों को करने में भी असफल हो जाते हैं। यह विकृति इन बालकों में जन्मजात भी देखने को मिलती है। कई बार गर्भावस्था के दौरान माता के द्वारा संतुलित आहार न लेने के कारण या दवाइयों का अधिक मात्रा में सेवन करने के कारण गर्भस्थ शिशु अपंग पैदा होता है। किसी दुर्घटना के कारण या चोट लगने के कारण भी बालकों में अस्थि विकलांगता देखने को मिलती है। कई बार बालकों को गंभीर बीमारियां हो जाती है, जिनके कारण इनकी अस्थियों में विकृति आ जाती है। ऐसे बालकों को उपचार देना आवश्यक है। अस्थि बाधित बालकों को योग्य तथा कुशल चिकित्सक के द्वारा समय समय पर उपचार के लिए ले जाना चाहिए। उन्हें सामाजिक तथा संवेगात्मक सहयोग देना चाहिए। शिक्षक तथा माता पिता की ज़िम्मेदारी होती है, कि उनका ध्यान रखें। उनकी विकलांगता का प्रतिशत यदि ज़्यादा है, और वे सामान्य कक्षा में अध्यापन नहीं कर पा रहे हैं। तो उस स्थिति में विशेष विद्यालय में कुछ दिनों के लिए उन्हें अध्यापन के लिए भेजा जाना चाहिए। तथा विशेष विद्यालय में भी ऐसे बच्चों के अनुरूप चिकित्सक तथा दवाइयों की व्यवस्था करना चाहिए। तथा श्यामपट्ठ और टेबल कुर्सी भी उनके अनुरूप लगाना चाहिए। कक्षा में सामान्य बालकों के द्वारा इनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची -

- सिंह, मदान, समावेशी शिक्षा, आर लाल बुक डिपो, मेरठ, संस्करण 2008 पृष्ठ 129 -
- सिंह, मदान, समावेशी शिक्षा, आर लाल बुक डिपो, मेरठ, संस्करण 2008 पृष्ठ 130 -
- सिंह, मदान, समावेशी शिक्षा, आर लाल बुक डिपो, मेरठ, संस्करण 2008 पृष्ठ 133 -
- सिंह, मदान, समावेशी शिक्षा, आर लाल बुक डिपो, मेरठ, संस्करण 2008 पृष्ठ 134 -

- सिंह, मदान, समावेशी शिक्षा, आर लाल बुक डिपो, मेरठ, संस्करण 2008 पृष्ठ 135 -
- सिंह, मदान, समावेशी शिक्षा, आर लाल बुक डिपो, मेरठ, संस्करण 2008 पृष्ठ 136 -
- शर्मा, अनुराधा, समावेशी शिक्षा ,अग्रवाल पब्लिकेशंस, आगरा, संस्करण 2018-19,पृष्ठ180
- शर्मा, अनुराधा, समावेशी शिक्षा ,अग्रवाल पब्लिकेशंस, आगरा, संस्करण 2018-19,पृष्ठ188
- शर्मा, अनुराधा, समावेशी शिक्षा ,अग्रवाल पब्लिकेशंस, आगरा, संस्करण 2018-19,पृष्ठ189
- शर्मा, अनुराधा, समावेशी शिक्षा ,अग्रवाल पब्लिकेशंस, आगरा, संस्करण 2018-19,पृष्ठ190
- पाठक, पी. डी.,अधिगम कर्ता का विकास एवं अधिगम प्रक्रिया, अग्रवाल पब्लिकेशंस, आगरा, नवीन संस्करण, पृष्ठ 227,
- पाठक, पी. डी.,अधिगम कर्ता का विकास एवं अधिगम प्रक्रिया, अग्रवाल पब्लिकेशंस, आगरा, नवीन संस्करण, पृष्ठ 228
- विष्ट, डॉक्टर आभा रानी, विशिष्ट बालक, श्री विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, ग्यारहवाँ संशोधित संस्करण 2013, पृष्ठ
- शर्मा, योगेन्द्र कुमार, शारीरिक रूप से विकलांग बालक, कनिष्क पब्लिशर्स, नई दिल्ल, प्रथम संस्करण2009, पृष्ठ